

6-निजी पशु मेला, पशु बाजार, पशु पैठ एवं पशु प्रदर्शनी लगाने हेतु स्वामी द्वारा लाइसेंस प्रार्थना-पत्र के साथ पशु मेला, पशु बाजार, पशु पैठ एवं पशु प्रदर्शनी का स्थल क्षेत्रफल तथा चौहद्दी का पूर्ण विवरण दर्शाते हुये खसरा खतौनी की नकल के साथ आवेदन-पत्र प्रस्तुत करना होगा, तभी उस पर विचार किया जायेगा।

दण्ड

उ0प्र0 क्षेत्र/जिला पंचायत, अधिनियम, 1961 की धारा 240 में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये जिला पंचायत बॉदा यह निर्देश देती है कि जो भी व्यक्ति/संस्था उपरोक्त उपविधि का उल्लंघन करेगा उसे न्यायालय से दोष सिद्ध हो जाने पर दण्ड दिया जायेगा, जो रु0 1,000.00 तक हो सकेगा और जब तक ऐसा उल्लंघन जारी रहे तो अतिरिक्त अर्थ दण्ड से दण्डित किया जायेगा, जो प्रथम दोष सिद्ध होने के पश्चात् प्रत्येक दिन के लिये जिसमें अपराधी अपराध करता रहा है रु0 50.00 तक हो सकेगा अर्थ दण्ड का भुगतान न करने पर कारावास का दण्ड दिया जायेगा जो 3 माह होगा।

24 दिसम्बर, 2022 ई0

सं0 327/21-एल0बी0ए0/उपविधि-प्रकाशन-जिला पंचायत बांदा ने अपने ग्रामीण क्षेत्र के अर्न्तगत सार्वजनिक सड़क एवं स्वयं की भूमि पर दुकान व अन्य व्यवसाय करने सम्बन्धी कार्य करने को नियन्त्रित एवं विनियमित करने के उद्देश्य से उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 यथा संशोधित की धारा 239(2) के अर्न्तगत प्रचलित उपविधि के स्थान पर संशोधित उपविधि बनाई गई है। यह उपविधि गजट प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी।

परिभाषायें

- 1-अधिनियम का तात्पर्य उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 (यथा संशोधित) से है।
- 2-ग्रामीण क्षेत्र का तात्पर्य उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 में दी गयी परिभाषाओं के अनुसार होगी।

उपविधि

- 1-यह उपविधि शासकीय गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी।
- 2-यह उपविधि दुकानें एवं अन्य व्यवसाय को विनियमित करने सम्बन्धी उपविधि कहलायेगी।
- 3-कोई भी व्यक्ति/संस्था जिले के ग्रामीण क्षेत्र में किसी भी सार्वजनिक सड़क के किनारे अथवा अन्य स्थान पर उपविधि में निर्दिष्ट व्यवसाय तब तक नहीं कर सकता है जब तक उस व्यक्ति/संस्था ने जिला पंचायत, बॉदा में निर्धारित लाइसेंस शुल्क जमा करके लाइसेंस न प्राप्त कर लिया हो।
- 4-प्रत्येक लाइसेंस की अवधि एक वर्ष होगी, जो 01 अप्रैल से 31 मार्च तक मानी जायेगी। लाइसेंस का नवीनीकरण चालू माह अप्रैल तक करा लेने की दशा में विलम्ब शुल्क से मुक्त होगा। परन्तु निर्धारित अवधि में लाइसेंस का नवीनीकरण न कराये जाने की दशा में रु0 100.00 तक निर्धारित शुल्क में रु0 10.00 तथा रु0 100.00 से रु0 500.00 तक निर्धारित शुल्क में रु0 25.00 तथा रु0 500.00 से अधिक शुल्क पर रु0 50.00 प्रति लाइसेंस शुल्क सहित जमा करना होगा।
- 5-उपविधि 4 में वर्णित विलम्ब शुल्क के नये व्यवसायी मुक्त होंगे परन्तु सम्बन्धित व्यक्ति/संस्था लिखित प्रार्थना-पत्र अपर मुख्य अधिकारी/कार्य अधिकारी/कर अधिकारी की अनुमति से प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
- 6-उपविधि में निर्दिष्ट लाइसेंस शुल्क की वसूली/उगाही सामान्यतः अध्यक्ष, अपर मुख्य अधिकारी, कार्य अधिकारी, कर अधिकारी, जिला पंचायत, बॉदा द्वारा अधिकृत कर्मचारियों के माध्यम से कराई जायेगी, कर्मचारियों के अभाव में पंचायत हित में लाइसेंस शुल्क की वसूली की नीलामी ठेके पर देने की कार्यवाही पर विचार करने का अधिकार अध्यक्ष, जिला पंचायत, बॉदा में निहित होगा। वसूली कराये जाने के सम्बन्ध में निम्न विवरण के अनुसार कार्यवाही की जायेगी-

(अ) ठेका/नीलामी की स्वीकृति/अस्वीकृति का अधिकार मा0 अध्यक्ष में निहित होगा।

(ब) नीलामी व्यापक प्रचार-प्रसार के बाद नीलाम समिति के समक्ष की जायेगी, नीलाम समिति से पंचायत में कार्यरत कार्य अधिकारी, वित्तीय परामर्शदाता, अभियन्ता, कर अधिकारी सदस्य होंगे तथा अपर मुख्य अधिकारी समिति के अध्यक्ष नामित होंगे।


 अपर मुख्य अधिकारी
 जिला पंचायत, बॉदा

7-ग्रामीण क्षेत्र के अन्तर्गत उपविधि में निर्दिष्ट व्यवसाय करने वाले व्यक्ति/संस्था को इस आधार पर लाइसेंस शुल्क से मुक्त नहीं किया जा सकता है कि उसने किसी अन्य संस्था, निकाय अथवा सम्बन्धित विभाग लाइसेंस प्राप्त कर लिया हो, प्रत्येक व्यवसायी को हर हालत में जिला पंचायत से लाइसेंस प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

8-उपविधि के अधीन कोई भी लाइसेंस शुल्क का बकाया उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम-1961 के अध्याय-8 में वर्णित रीति से उद्ग्रहीत किया जायेगा।

9-जिला पंचायत, बॉदा के अध्यक्ष, अपर मुख्य अधिकारी, कार्य अधिकारी, कर अधिकारी अथवा पंचायत का कर्मचारी जिसे अपर मुख्य अधिकारी द्वारा अधिकृत किया गया है किसी भी दुकान का निरीक्षण कर शुल्क जमा कराने का अधिकारी होगा साथ ही साथ उपरोक्त वर्णित अधिकारी/कर्मचारी व जिला स्वास्थ्य अधिकारी अथवा स्वास्थ्य विभाग का अन्य कर्मचारी जो स्वास्थ्य निरीक्षक से कम दर्जे का न हो किसी भी उचित समय पर किसी भी दुकान में रखे गये खाद्य पदार्थ या अन्य बिक्री योग्य सामग्री का निरीक्षण करते हैं, उन्हें अधिकार होगा कि ऐसे दुकान पर रखे गये खाद्य पदार्थ जो मनुष्यों के उपयोग हेतु उचित न हो तत्काल नष्ट कर दें जिससे जनसाधारण के स्वास्थ्य में प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।

10-इस उपविधि के अन्तर्गत प्राप्त लाइसेंसधारक द्वारा उपविधि के किसी भी धारा, उपधारा का उल्लंघन करने पर लाइसेंसिंग अधिकारी को यह अधिकार होगा कि किसी भी समय लाइसेंस को स्थगित कर दे अथवा निरस्त कर दे, ऐसे आदेश के विरुद्ध अपील अध्यक्ष जिला पंचायत बॉदा के समक्ष आदेश प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर की जा सकती है। इस विषय पर अध्यक्ष का निर्णय अन्तिम व बाध्यकारी होगा।

11-जिला पंचायत, बॉदा द्वारा बनाई गयी उपविधि के अन्तर्गत लाइसेंस धारकों को निम्नांकित शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा-

(क) कोई भी व्यक्ति/संस्था ऐसे किसी व्यक्ति को जो छूत की बीमारी से पीड़ित हो, न तो स्वयं ही उपविधि में वर्णित व्यवसाय कर सकता है और न ही किसी ऐसे रोगी व्यक्ति को व्यवसाय में नौकर या सहायक के रूप में सेवायोजित कर सकता है।

(ख) कोई भी लाइसेंसधारक/व्यक्ति खाद्य पदार्थ को बनाने या रखने हेतु धातु के बर्तनों का प्रयोग नहीं करेगा जो खाद्य पदार्थ को किसी भी प्रकार विकृत कर दूषित करते हो अथवा जिनमें बनाया हुआ अथवा रखा हुआ पदार्थ स्वास्थ्य के लिये हानिकारक हो।

(ग) खाद्य पदार्थ को बिक्री के लिये रखे गये साफ बर्तनों में इस प्रकार ढककर रखे जायेंगे जिनमें उन पर धूल के कण या कोई हानिकारक जीव-जन्तु बैठने न पाये जिससे खाद्य सामग्री हानिप्रद होने की सम्भावना न रहे।

(घ) प्रत्येक लाइसेंसधारक को अपने दुकान के सामने एक साइन बोर्ड लगवाना पड़ेगा जिसमें दुकान का नाम, व्यवसाय का विवरण, लाइसेंस धारक का नाम तथा रेट आदि भी अंकित करना होगा।

(ङ) उपविधि में वर्णित व्यवसाय करने वाले लाइसेंस धारक को सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त माप बाटों का प्रयोग करना होगा तथा अन्य सम्बन्धित विभाग के निर्देश का अनुपालन करना होगा।

12-उपविधि के प्रस्तर-6 में दी गई व्यवस्थानुसार पंचायत द्वारा किसी क्षेत्र विशेष लाइसेंस शुल्क उगाही कराने हेतु ठेका/नीलामी का निर्णय लिया गया है तो ऐसी दशा में सम्बन्धित ठेकेदार को निम्नांकित कार्यवाही पूर्ण कराने के उपरान्त कार्य आदेश निर्गत किये जायेंगे-

(क) नीलाम/ठेका स्वीकृत होने के उपरान्त उपविधि के प्राविधानों व तत्सम्बन्धी बनाई गई शर्तों के अनुसार इकरारनामा करना होगा।

(ख) सम्बन्धित ठेकेदार को निर्धारित स्टैम्प पर "जैसा कि स्टाम्प नियमों में निर्धारित दर हो" अनुबन्ध करना होगा।

(ग) सम्बन्धित ठेकेदार को पंचायत द्वारा निर्धारित रसीद बहियों में वसूली कार्य करना होगा जो पंचायत द्वारा निर्धारित शुल्क जमा करने के उपरान्त जारी की जायेगी।

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत, बॉदा

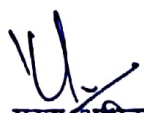
(घ) सम्बन्धित ठेकेदार द्वारा वसूली शुल्क उद्ग्रहीत हेतु नियुक्त संग्रह कर्ताओं के नाम, पता, फोटो सहित सूची प्रस्तुत की जायेगी तदुपरान्त लाइसेंसिंग अधिकारी की अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त शुल्क उद्ग्रहीत अधिकृत व्यक्ति द्वारा किया जा सकेगा।

(ङ) उपविधि में वर्णित शर्तों के साथ पंचायतीराज उ०प्र० शासन व पंचायत तत्सम्बन्धी निर्देश/आदेश का पालन करना अनिवार्य होगा।

13-उपविधि में वर्णित दुकानें व अन्य व्यवसायों के लिये दुकान/व्यवसायवार लिखित विवरण के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति/संस्था को शुल्क जमा करना अनिवार्य होगा दरें निम्नवत हैं-

क्र०	दुकान का प्रकार/व्यवसाय विवरण	लइसेंस शुल्क वार्षिक
1	2	3
		रु०
1	कपड़ा की फुटकर दुकान (वस्त्र भण्डार)	300.00
2	कपड़ा की दुकान थोक	500.00
3	परचून की दुकान फुटकर (छोटी)	200.00
4	परचून की दुकान बड़ी (थोक)	300.00
5	किराना की फुटकर (छोटी)	200.00
6	किराना की बड़ी दुकान (थोक)	500.00
7	गल्ला खरीद बिक्री की बड़ी दुकान (गल्ला आड़त) (10 कु० से अधिक पर)	1,000.00
8	गल्ला खरीद की फुटकर दुकान (छोटी) (10 कु० तक)	500.00
9	सोने चांदी की आभूषण की बिक्री दुकान (सर्राफ)	1,000.00
10	साने चांदी के आभूषण बनाने की दुकान	200.00
11	मेडिकल स्टोर अंग्रेजी/देशी दवायें, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक अन्य (छोटी)	500.00
12	मेडिकल स्टोर (थोक) देशी दवायें, होम्योपैथिक अन्य	1,000.00
13	विशात खाना	100.00
14	जनरल स्टोर	200.00
15	पुस्तक कापी (स्टेशनरी छोटी दुकान)	200.00
16	पुस्तक कापी (स्टेशनरी थोक)	300.00
17	मीठे की दुकान (मिष्ठान भंडार)	150.00
18	चाय की दुकान (टी स्टाल)	100.00
19	पान की दुकान	100.00
20	चाय-पान की सम्मिलित दुकान	150.00
21	शर्बत, लस्सी, कोल्डड्रिंक, सोडावाटर आदि की दुकान	200.00
22	होटल, ढाबा, रेस्टोरेंट	1,000.00
23	लोहे की बड़ी दुकान (जिसमें कटिया, मशीन, बाल्टी, सरिया, इंगल आदि शामिल)	1,000.00
24	लोहे की छोटी दुकान (जिसमें लाहे की बनी अन्य वस्तुयें शामिल)	500.00
25	साईकिल स्टोर (साईकिल एवं पुर्जों के विक्रेता थोक)	300.00
26	साईकिल स्टोर (साईकिल के पुर्जे विक्रेता एवं मरम्मत कार्य)	100.00
27	बर्तन विक्रेता (बर्तन पीतल, स्टील, तांबा, सिलवर आदि धातु बड़ी)	300.00
28	बर्तन विक्रेता (बर्तन पीतल, स्टील, तांबा सिलवर अन्य धातु छोटी)	200.00

1	2	3
		रु0
29	कपड़ा सिलाई (टेलरिंग शाप) जिसमें एक मशीन हो	50.00
30	कपड़ा सिलाई मशीन (टेलरिंग शाप) जिसमें एक से अधिक मशीन हो	100.00
31	जलाऊ लकड़ी की दुकान टाल	300.00
32	इमारती लकड़ी की दुकान जिसमें बल्ली लट्ठा आदि हो	500.00
33	इमारती लकड़ी से बनाये जाने वाले समान (फर्नीचर की दुकान)	1,000.00
34	कोयला की दुकान (सभी प्रकार)	500.00
35	बिल्डिंग मटेरियल (सप्लायर) अथवा किराये पर उठाने वाला	500.00
36	बूट हाउस जूता की दुकान शो रूम	300.00
37	जूता चप्पल की दुकान	200.00
38	जूता के अलावा चमड़े के बने हुए अन्य सामान की दुकान (लेदर स्टोर)	200.00
39	रैक्सीन तिरपाल आदि के बैग अटैची तथा अन्य सामान की दुकान	200.00
40	स्पंच के गद्दे तकिया सोफा प्लास्टिक फर्नीचर विक्रेता	1,000.00
41	कृषि यंत्र (कृषि औजार)	200.00
42	बीज भंडार समस्त प्रकार के बीज भंडार (सरकारी बीज बाजार छोड़कर)	200.00
43	टीन चद्दर के बाक्स, पलंग, कुर्सी स्टील फर्नीचर दुकान	200.00
44	वाच शाप घड़ी विक्रेता (जेब, हाथ, अलार्म घड़ी)	300.00
45	वाच रिपेयर दुकान (समस्त प्रकार की घड़ी के पुर्जे विक्रेता एवं मरम्मत)	100.00
46	बिजली के सामान की दुकान (समस्त विद्युत् उपकरण एवं मरम्मत)	200.00
47	रोड लाइट (बिजली सजावट साउण्ड सर्विस)	300.00
48	रसायनिक खाद दुकान (जिसमें सरकारी खाद व गोदाम न हो)	300.00
49	फलों की दुकान	100.00
50	सब्जी की दुकान	100.00
51	फल एवं सब्जी की सम्मिलित दुकान	150.00
52	कांच व चीनी पत्थर के सामान की दुकान (काकरी दुकान)	200.00
53	पत्थर व पत्थर से बने सामान की दुकान	200.00
54	बाल कटिंग (सैलून) दुकान	100.00
55	आटो पार्ट्स दुकान (दुपहिया वाहन)	500.00
56	आटो पार्ट्स दुकान (चार पहिया वाहन)	500.00
57	मोटर गैरिज (दुपहिया वाहन)	200.00
58	मोटर गैरिज (चार पहिया वाहन)	200.00
59	मोटर कार, जीप कार, मोटर साइकिल, स्कूटर पंचर, हवा भरने की दुकान	100.00
60	पम्पसेट एवं पार्ट्स विक्रय दुकान	500.00
61	धर्मकाटा	500.00
62	पशु आहार विक्री दुकान	200.00
63	मुर्गी पालन उद्योग	500.00


 अपर मुख्य अधिकारी
 जिला पंचायत, बोंदा

1	2	3
64	डेयरी फार्म (दुग्ध उद्योग)	रु०
65	हथियार अग्नेयास्त्र की दुकान	1,500.00
66	अफीम गांजा, भांग, ताड़ी की दुकान	1,000.00
67	देशी शराब की दुकान	500.00
68	विदेशी शराब की दुकान	1,000.00
69	फोटो स्टूडियो, फोटो कापी, कम्प्यूटर सर्विस	2,000.00
70	रेडिमेड कपड़ा (होजरी) दुकान	1,000.00
71	टाइप राइटर, सिलाई मशीन एवं पार्ट्स विक्रेता	200.00
72	टाइप राइटर, सिलाई मशीन एवं पार्ट्स मरम्मत कार्य	500.00
73	पी०सी०ओ० (दूर संचार सेवा) मोबाइल दुकान	200.00
74	मशीन अथवा हाथ से जूता चप्पल निर्माण कर्ता	1,000.00
75	गुड़, लाई, चना, मूंगफली विक्रेता	100.00
76	गुड़, शक्कर, मैदा आदि की दुकान	100.00
77	लांड्री (ड्राईक्लीनर) दुकान	100.00
78	तम्बाकू विक्री की दुकान	200.00
79	रुई विक्रेता	500.00
80	सभी प्रकार खेल कूद स्पोर्ट्स दुकान	100.00
81	कबाडी की दुकान	200.00
82	सीमेन्ट, गिट्टी, पत्थर सीमेन्ट/प्लास्टिक पाइल (सिनेटरी), फिटिंग टायल्स मारबल की दुकान	2,000.00
83	रंग रोगन की दुकान (बानिश पेंट) बाल पेंट डिस्टैम्पर इसमोसियम की दुकान	1,000.00
84	शामियाना, कुर्सी आदि किराये की दुकान (टेंट हाउस)	1,000.00
85	कोलतार (डामर) फिनायल विक्रेता	1,000.00
86	अण्डे की दुकान	100.00
87	घी, दूध, तेल की दुकान	200.00
88	हाथ ठेला फेरी अथवा खोन्चा (सिर पर) फेरी कार्य	50.00
89	लकड़ी के खिलौने बनाने व बिक्री की दुकान	300.00
90	दूध फेरी विक्रेता 10 ली० तक	100.00
91	दूध फेरी विक्रेता 11 ली० से 20 ली० तक	200.00
92	दूध फेरी विक्रेता 21 ली० से अधिक	550.00
93	खोवा उत्पादक फेरी द्वारा क्रय विक्रय	200.00
94	कपड़ों की रंगाई (रंगरेज)	200.00
95	साइन बोर्ड दीवाल पेंटिंग (पेन्टर) दुकान	200.00
96	कपड़ा/विशातखाना दुकान अन्य घरेलू सामान (फेरी द्वारा)	100.00
97	अन्य छोटे व्यवसाय	500.00

अपर मुख्य अधिकारी
अजिला पंचायत, बोंदा

1	2	3
		रु0
98	आतिशबाजी की दुकान	500.00
99	नौटंकी कम्पनी खेल तमाशा व मनोरंजन शो आदि पर	1,000.00
100	बैण्ड बाजा	500.00
101	अन्य बाजा (बीन बाजार ढोल पंजाबी भांगड़ा)	200.00
102	रेडियों टी0वी0 इलेक्ट्रानिक सामान की दुकान	500.00
103	रेडियों टी0वी0 अन्य इलेक्ट्रानिक सामान के पुर्जे बिक्री व मरम्मत	500.00
104	फुटकर मिट्टी का तेल, कैरोसीन, डीजल, मोबिआयल	200.00
105	पेट्रोल पम्प व डीजल पम्प	2,000.00
106	मिट्टी का तेल पम्प कोसीन	1000.00
107	कोल्ड स्टोरेज	5,000.00
108	प्रापर्टी डीलर व्यवसाय	2,000.00
109	ट्रासपोर्ट एजेन्सी/ट्रासपोर्ट बिना वाहन के ट्रेवल्स	500.00
110	ट्रासपोर्ट एजेन्सी/ट्रासपोर्ट वाहन सहित ट्रेवल्स	1,000.00
111	ट्रासपोर्ट एजेन्सी/ट्रासपोर्ट आटो रिक्शा (दो सीटर अथवा चार शीटर)	100.00
112	ट्रासपोर्ट एजेन्सी/ट्रासपोर्ट बिना वाहन के ट्रेवल्स आटो रिक्शा (मेटाडोर) 7 सीट तक	300.00
113	ट्रासपोर्ट एजेन्सी/ट्रासपोर्ट बिना वाहन के ट्रेवल्स मिनी बस	500.00
114	ट्रासपोर्ट एजेन्सी/ट्रासपोर्ट बिना वाहन के ट्रेवल्स बस	1,000.00
115	ट्रासपोर्ट एजेन्सी/ट्रासपोर्ट बिना वाहन के ट्रेवल्स अन्य चार पहियों के व्यवसायिक वाहन	500.00
116	ट्रासपोर्ट एजेन्सी/ट्रासपोर्ट बिना वाहन के ट्रेवल्स मोटर वाहन एजेंसी (सेल्स/सर्विस)	5000.00
117	ट्रासपोर्ट एजेन्सी/ट्रासपोर्ट बिना वाहन के ट्रेवल्स स्कूलर/मोटर साइकिल एजेंसी (सेल सर्विस)	5000.00
118	स्वास्थ्य सेवा व्यवसाय नर्सिंग होम 20 बेड तक	1,000.00
119	स्वास्थ्य सेवा व्यवसाय नर्सिंग होम 20 से अधिक	2,000.00
120	ठंडी बियर की दुकान	1,000.00
121	बलू स्टार्किस्ट (डम्प) 2000 घन मी0 तक	1,000.00
122	बलू स्टार्किस्ट (डम्प) 2001 घन मी0 से अधिक	2,000.00
123	टायर रबडिंग की दुकान	1,000.00
124	अन्य बड़े व्यवसाय	1,000.00
125	ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिस्थापित टावर्स आदि (टेलीफोन, मोबाइल टावर आदि)	5,000.00

14-उपविधि सं0-13 में वर्णित दुकानें तथा अन्य व्यवसायों को निर्धारित शुल्क में उसके प्रभावी तिथि से 3 वर्ष के उपरान्त उत्तर प्रदेश शासन के पंचायतीराज अनुभाग की रा0सं0 2004(1)/33-2-2001-26 पी/2001, दिनांक-26 सितम्बर, 2002 की राजज्ञानुसार दरों में नियमित शुल्क संशोधित किये जाने का अधिकार पंचायत में निहित है।


अपर मुख्य अधिकारी
के. विनय पंचायत, बोंदा

15-वाहनों के लाइसेंस न बनवाने वाले अथवा चेकिंग के दौरान पकड़े जाने पर जि0पं0 लिखित रूप से वाहन को अपनी अनुरक्षा में लेने का अधिकारी होगा और यदि एक सप्ताह निर्धारित किये गये शुल्क को अदा कर लाइसेंस प्राप्त न किया जायेगा तो बिना किसी के पकड़ा गया वाहन जि0पं0 अधिनियम के अन्तर्गत रिकवरी चालान कर दिया जायेगा। जिसका पूर्ण दायित्व वाहन स्वामी का होगा।

दण्ड

उ0प्र0 क्षेत्र/जिला पंचायत, अधिनियम, 1961 की धारा 240 में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये जिला पंचायत बॉदा यह निर्देश देती है कि जो भी व्यक्ति/संस्था उपरोक्त उपविधि का उल्लंघन करेगा उसे न्यायालय से दोष सिद्ध हो जाने पर दण्ड दिया जायेगा, जो रु0 1,000.00 तक हो सकेगा और जब तक ऐसा उल्लंघन जारी रहे तो अतिरिक्त अर्थ दण्ड से दण्डित किया जायेगा, जो प्रथम दोष सिद्ध होने के पश्चात् प्रत्येक दिन के लिये जिसमें अपराधी अपराध करता रहा है रु0 50.00 तक हो सकेगा अर्थ दण्ड का भुगतान न करने पर कारावास का दण्ड दिया जायेगा जो 3 माह होगा।

ह0 (अस्पष्ट),
आयुक्त,
चित्रकूटधाम मण्डल, बॉदा।

जिला पंचायत, हमीरपुर

24 दिसम्बर, 2022 ई0

नक्शों एवं निर्माण को नियंत्रित एवं विनियमित करने हेतु उपविधि

सं0 319/21-एल0बी0ए0/उपविधि-प्रकाशन-उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 (यथा संशोधित) की धारा 239 (1) एवं धारा 239 (2) के साथ पठित अधिनियम की धारा 143 में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग कर के जिला पंचायत हमीरपुर ने ग्राम्य क्षेत्र, जो कि उक्त अधिनियम की धारा 2(10) में परिभाषित है, में से इस क्षेत्र में स्थापित किसी विकास प्राधिकरण एवं उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976 की धारा 2 (डी) में घोषित औद्योगिक विकास क्षेत्र को हटाते हुए शेष ग्राम्य क्षेत्र के अन्तर्गत बनने वाले सभी प्रकार के भवनों के नक्शों एवं निर्माण को नियंत्रित एवं विनियमित करने के उद्देश्य से निम्न उपविधि बनायी है। यह उपविधि उ0प्र0 शासकीय गजट में प्रकाशित होने की तिथि से प्रभावी होगी।

- 1-अधिनियम का तात्पर्य उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 (यथा संशोधित) से है।
- 2-ग्राम्य क्षेत्र से तात्पर्य जिले में स्थित प्रत्येक नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद, छावनी तथा नगर निगम क्षेत्र के अतिरिक्त उस क्षेत्र को हटाते हुए जोकि किसी विकास प्राधिकरण या यू0पी0एस0आई0डी0सी0 के द्वारा अधिग्रहीत किया गया हो एवं जिसके अधिग्रहण की सूचना पूर्ण विवरण सहित यथा ग्राम का नाम, गाटा/खसरा संख्या, अधिग्रहीत क्षेत्रफल आदि गजट में प्रकाशित की जा चुकी हो।
- 3-विनियमन का तात्पर्य भवन के मूल निर्माण एवं बने हुए भवन में अतिरिक्त निर्माण एवं फेरबदल की कार्यवाही को विनियमित करने से है।
- 4-मानचित्र से तात्पर्य भवन के ड्राइंग, डिजाइन एवं विशिष्टियों के अनुसार कागज/इलेक्ट्रानिक्स डिवाइस पर बने उस नक्शे से है, जोकि पंजीकृत वास्तुविद के द्वारा बनाकर प्रस्तुत किया गया हो एवं डिजाइन योग्य (Elegible) अभियन्ता द्वारा तैयार किया गया हो।
- 5-निर्माण कार्य का तात्पर्य किसी भवन का निर्माण करना, पुर्ननिर्माण करना या उसमें सारवान विचलन करना या उसको ध्वस्त करने से है।
- 6-भवन की ऊंचाई का तात्पर्य संलग्न किसी नाली के टाप से लेकर उस भवन के सबसे ऊंचे बिन्दु तक नापी गयी लम्बवत् (Vertical) ऊंचाई से एवं ढलान वाली छत के लिए दो गहराईयों के बीच से है। भवन की ऊंचाई में मम्टी, मशीनरूम, पानी की टंकी, एन्टीना आदि की ऊंचाई सम्मिलित नहीं होगी।
- 7-छज्जा का तात्पर्य ऐसे ढलाननुमा या भूमि के क्षितिज के अनुसार बाहर निकला हुआ भाग जोकि सामान्यतया सूरज या बारिश से बचाव के लिए बनाया जाता है।


अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत, बॉदा